

भारत का राजपत्र, असाधारण
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
(उत्प्रवास नीति प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2008

सा. आ. 2161 (अ.) - उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार निम्नलिखित देशों में प्रवासियों को प्रदत्त रोजगार में भर्ती प्रक्रिया और इनकी दशा तथा जीवन एवं कार्य की मानक दशा के संबंध में संतुष्ट होते हुए एतद्वारा इन देशों में जाने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, ये देश हैं-

अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अंगोला, एंटीगुआ एवं बारबुडा, अर्जेन्टीना, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबेजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलजियम, बेलिज, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोसनिया एवं हर्जेगोबनिया, बोत्सवाना, ब्राजील, बुल्गारिया, बुरुकीना फासो, बुरुंडी, कम्बोडिया, कैमरून, कनाडा, केप वेरडे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, चिली, चीन, कोलम्बिया, कोमोरोस, कोंगो, कोस्टा रीका, कोट डे लोवोरे, क्रोएशिया, क्यूबा, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक ऑफ द कांगो, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, इक्वेटोरियल गुइना, इरिट्रीया, इस्टोनिया, इथियोपिया, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गेबोन, गाम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, यूनान, ग्रेंडा, ग्वाटेमाला, ग्वेना, ग्वेना - बिसाऊ, गुइना, हेती, होंडुरस, हंगरी, आइसलैंड, ईरान, आयरलैंड, इस्राइल, इटली, जमैका, जपान, कजाकिस्तान, केन्या, किरिबत्ती, किरगिस्तान, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लातविया, लेसोथो, लाइबेरिया, लिकटेनस्टेन, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव, माली, माल्टा, मार्शल आइलैंड, मारिटेनिया, मारिशस, मेक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोल्डोवा, मोनेको, मोंगोलिया, मोंटेनीग्रो, मोरोक्को, मोजाम्बिक, म्यामार, नामिबिया, नौरू, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजिरिया, नार्वे, पाकिस्तान, पलाऊ, पनामा, पापुआ न्यू गुएना, परागुवे, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, रूसी संघ, रवांडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडिंस, सामोआ, सेन मारियो, साओ टोम और प्रिंसिपी, सेनेगल, सर्बिया, सेशेल्स, सियेरा लियोन, सिंगापूर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोलोमन आइलैंड, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूरीनाम, स्वाजीलैंड, स्वीडन, स्विजरलैंड, ताजिकिस्तान, पूर्व यूगोस्लेव रिपब्लिक आफ मेसेडोनिया, तिमोर-लेस्ते, टोंगा, त्रिनिदाद एवं टोबेगो, ट्यूनिशिया, तुर्की, तुर्कमिनिस्तान, तुवालू, युगांडा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नादर्न आयरलैंड, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरूग्वे, उज्बेकिस्तान, वनातू, वेनेजुएला, वेल नाम, जाम्बिया और जिम्बावे।

(फा. संख्या जेड- 11025/64/2003- इमी.)

जी. गुरुचरण, संयुक्त सचिव

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली- 110054 द्वारा मुद्रित और प्रकाशन नियंत्रण, दिल्ली-
110054 द्वारा प्रकाशित

